प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली   दिनाँक 14.10.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 249/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 249/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 12-10-2025 को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आरिफ पुत्र शौकीन निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-है0का0 564 जितेन्द्र थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट　　　　　दिनाँक-14.10.2025

थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सटटा पर्चा व 760 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से सटटा पर्चा व 760 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महबूब उर्फ काले पुत्र बन्दा निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक पैन, एक रजिस्टर।
- नगद कुल 760 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 644 राम टाईगर थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनांक 14.10.2025

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 652/25 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05-10-2025 को थाना बड़ौत पर वादी सचित पुत्र स्व0 श्री वीरेन्द्र सिहँ निवासी पट्टी कटगड ग्राम महावतपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभि0 1. प्रज्ज्वल उर्फ लप्पी पुत्र प्रमोद नि0 पट्टी देशू ग्राम बाबली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा अपने दोस्त 1.रोहित उर्फ काला पुत्र यशवीर, 2.आशीष उर्फ सोनू पुत्र यशवीर निवासीगण पटटी गोपी बावली थाना बडौत जनपद बागपत 3. विपिन उर्फ घोला पुत्र सुन्दर निवासी पटटी खोबा बावली थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादी के भाई संयम की हत्या कर दी गयी है। इस सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0- 652/25 धारा 109(1)/3(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 652/25 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त

को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों दिनांक 08.10.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

विपिन उर्फ घोला पुत्र सुन्दर निवासी पटटी खोबा बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-निरी0 अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-का0 1041 प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 14.10.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 332/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरीद पुत्र खलील निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 771 कुलतार सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 14.10.2025

थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 330/25 धारा 103(1)/61(2)/238/351(3)/3(5)/123 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार। जिनकी निशांदेही से मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12-10-2025 को थाना बिनौली पर वादी मोनू पुत्र मानसिंह नि.जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.मोनू पुत्र रमेश, 2.आशीष पुत्र पप्पू, 3.सरोज पत्नी रमेश 4. पप्पू पुत्र अज्ञात निवासीगण जटान मौहल्ला, जनपद बिजनौर 5. लोकेश पुत्र अज्ञात निवासी जट मझेडा, थाना मण्डी, जनपद मुजफ्फरनगर, 6.बिजेन्द्र पुत्र काल

7. सुरेश पुत्र कालू, निवासीगण बसेडा, थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा मिलकर वादी के भाई सोनू उम्र 35 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी गयी तथा उसे फाँसी का रूप देकर रस्सी पर लटका दिया गया । अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र कर परिवार वालो को बहला फुसलाकर अंतिम संस्कार कर दिया एवं भाभी सोनिया पत्नि सोनू व उसके बच्चो को जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 330/2025 धारा 103(1)/61(2)/238/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 330/2025 धारा 103(1)/61(2)/238/351(3)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आयी 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है । जिनकी निशांदेही से मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक के दौरान धारा 123 बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पता-

02 महिला

बरामदगी का विवरण-

- मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन ।

पूछताछ विवरण- मृतक सोनू की पत्नी ने पूछताछ में बताया मेरी माँ मेरे साथ रहती थीं और उनका मेरे पति से अवैध सम्बन्ध था। कुछ समय पहले मेरी माँ ने एक प्लॉट 3 लाख रुपये में खरीदा था, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 30 लाख रुपये है । मेरा पति लगातार मेरी माँ पर दबाव डालता था कि वह प्लॉट उसके नाम करवा दे। एक बार जब मेरी माँ स्नान कर रही थीं, तो मेरे पति ने नहाते हुए उनका वीडियो बना लिया और उन्हें दिखाकर कहता था कि यदि प्लॉट मेरे नाम नहीं किया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। इन बातों से परेशान होकर हमने (मैं और मेरी माँ) मिलकर अपने पति सोनू को मारने की योजना

बनाई। शाम को हमने दूध में नींद की गोली मिलाकर दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया फिर हमने रस्से से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका कर आत्महत्या का रूप दे दिया और उसका मोबाइल तोड़कर घर के भूसा भरे कमरे में दबा दिया। शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-व0उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-उ0नि0 नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-उ0नि0 विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-म0है0का0 812 रजनी थाना बिनौली जनपद बागपत।

6-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।

7-म0का0 870 मनीषा थाना बिनौली जनपद बागपत।